कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.comPhone/Fax-2767611

पत्रांकः– 1509 / FP/UK/ROAD/153125/2022 दिनॉकः देहरादून 22 दिसम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाश रोड़,
देहरादून।

विषयः– जनपद हरिद्वार केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग राज्य मार्ग संख्या–26 के किमी0 01 से किमी0 19 तक पेब्ड शोल्डर से मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 70 / 2022 / एफ0सी0 / 928 दिनांक 04.10.2022

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **ई0डी0एस0 दिनांक 04.10.2022** के सम्बन्ध में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1447 / 12–1 (1) दिनांक 17.12.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

क्र0	भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	The details of the FCA approval or the documents supporting the fact that the existing road was constructed prior to 1980 have not been provided. State Government is requested to provide the information in this regard.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश सं0–115/XVI/331–50 दिनांक 10.02.1960 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की मार्ग पटरी की भूमि संरक्षित वन घोषित है। अध्याय–II विविध वन कार्यवृत्त के पैरा 11.4.2 के अनुसार उक्त मार्ग शासनादेश सं0–115/XVI/331–50 दिनांक 10.02.1960 में उल्लेखित होने से यह मार्ग वर्ष 1960 से पूर्व से निर्मित है। **(संलग्नक–1)**
2	The habitation is already connected with a road. Lot of landslides are to be seen along the other roads constructed in the same locality. Construction of yet another road without any explicit purpose may lead to further degradation of the fragile landscape. Hence, State Government is requested to provide the justification for the requirement of another road in the view of above.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विषयक मार्ग जिला हरिद्वार में मैदानी भाग में अवस्थित है एवं पूर्व निर्मित है, जिसमें कोई भी भूस्खलन क्षेत्र नहीं है एवं न ही अन्य मार्ग का नवनिर्माण प्रस्तावित है। त्रुटिवश अन्य मार्ग की KML File upload हो जाने से संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसे वर्तमान में पुनः विषयक मार्ग की KML File upload कर संशोधित कर दिया गया है।
3	As per the land schedule, additional RoW of 4m is proposed. A layout plan for the proposed road shall be submitted.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मार्ग से संबंधित ले–आऊट प्लान ऑनलाईन भाग–। में अपलोड कर दिया गया है। **(संलग्नक–2)**
4	Detail of non-forest land involved in the proposal shall be provided in Part I at all designated places.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में मार्ग के अन्तर्गत Non Forest land Area 48.03 है0 था, परन्तु मार्ग के दोनों ओर दो–दो मीटर चौड़ाई में पटरी भाग में वन विभाग द्वारा वनीकरण किये जाने के पश्चात 7.32 है0 संरक्षित वन भूमि घोषित होने के फलस्वरूप वर्तमान में मार्ग का Non Forest land Area 40.71 है0 है, जो कि प्रयोक्ता एजेन्सी स्तर से Part-I में

		ऑनलाईन अंकित नहीं हो पा रहा है।
5	Details of muck dumping sites shall be provided at para B 2.4 in Part I.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया कि विषयक मार्ग पूर्व से निर्मित है। वर्तमान में उक्त चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है। इस मार्ग के निर्माण में किसी प्रकार का मलबा निस्तारण नहीं कि जाना है। अपितु मार्ग निर्माण हेतु मलबे की आवश्यकता है।
6	On perusal of KML file, the proposal seems to be for construction of a new road to connect to village *'Sasaman'* rather than for for widening of existing road. The State Government is requested to submit the clarification in this regard.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में विषयक कार्य की KML File upload न होकर त्रुटिवश अन्य मार्ग की KML File upload हो गई, जिसे वर्तमान में ऑनलाईन संशोधित कर दिया गया है। मार्ग पूर्व निर्मित है एवं वर्तमान में मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है।
7	The alignment of the proposed road does not match with that of the digital map. State Govt. is requested to clarify this discrepamcy and upload correct KML file/digital map.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में विषयक कार्य की KML File upload न होकर त्रुटिवश अन्य मार्ग की KML File upload हो गई, जिसे वर्तमान में ऑनलाईन संशोधित कर दिया गया है।
8	Digital map and SOI toposheet are not legible. Digital map and SOI toposheet of higher resolution shall be provided.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा Digital map and SOI टोपोशीट Higher Resolution में पुनः ऑनलाईन अपलोड़ कर दी गई है।
9	Village Level Committee (VLC) meeting proceedings of Village Balawali shall be uploaded.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है किरूड़की–लक्सर–बालावाली मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 30 कि0मी0 है। उक्त मार्ग के प्रारम्भ के 18.300 कि0मी0 (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 18.300 तक) लम्बाई में मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत प्राप्त है। जिस हेतु यह वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मार्ग के कि0मी0 0.00 से 18.300 तक की लम्बाई हेतु गठित किया गया है। उक्त मार्ग के अन्तर्गत बालावाली ग्राम मार्ग के अन्तिम भाग कि0मी0 30 में अवस्थित है, जिस कारण ग्राम स्तरीय समिति की आवश्यकता नहीं है।
10	Density of the proposed forest area is mentioned as zero despite having 984 trees. State Govt. is requested to provide the correct information in this regard.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र का हरियाली घनत्व 0.2 है तथा ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–II में यथास्थान पर भर दिया गया है।
11	Eco class and density are not mentioned in NPV calculation sheet and it is submitted that this information is not available in working plan. Necessary information in this regard shall be provided.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एन0पी0वी0 आंकलन संवंधी प्रमाण–पत्र ऑनलाईन भाग–II में अतिरिक्त सूचना के रूप में में अपलोड़ किया गया है। **(संलग्नक–3)**
12	At para 5 in Part II, it is mentioned that 'no prescription in working plan', for the Protected Forest in Laksar and Rooree Range'. This information required to be reviewed.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित प्रविष्टि ऑनलाईन भाग–II में यथास्थान पर अंकित कर कार्ययोजना की प्रति अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दी गई है। **(संलग्नक–4)**
13	Much disposal Plan, bar chart and geologist report are not found uploaded in addl. Document in part I, which is required to be uploaded.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग पूर्व से निर्मित है। वर्तमान में उक्त कार्य के हेतु किसी भी प्रकार का मलबा निस्तारण नहीं किया जाना है। अपितु मार्ग निर्माण हेतु मलबे की आवश्यकता है, जिस कारण मलवा निस्तारण प्लान अपलोड नहीं किया गया है।

		मार्ग का Barchart पुनः ऑनलाईन अपलोड कर दिया है। चूंकि मार्ग मैदानी भाग में अवस्थित है एवं पूर्व निर्मित है। अतः मार्ग सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु भूगर्भवेता की आख्या की आवश्यकता नहीं है।
14	Work not start certificate shall be provided in the part II.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित प्रमाण–पत्र ऑनलाईन भाग–II में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दिया गया है। **(संलग्नक–5)**
15	Tree enumeration list of only one range i.e. Laksar is uploaded in part I. It is requested to upload the tree enumeration list for both the ranges in the Part II. Further, it is also requested to submit the no. of trees actually required to be felled.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा लक्सर एवं रूड़की रेंज के अन्तर्गत प्रभावित वृक्षों की सूची ऑनलाईन भाग–I में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दी गई है।
16	Details of the muck desposal sites shall be marked in the KML file.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग पर किसी प्रकार का मलवा निस्तारित नहीं किया जाना है। मार्ग की पटरियों के निर्माण हेतु मिट्टी भरान का कार्य किया जाना है, जिस कारण मलवा निस्तारण स्थल की आवश्यकता नहीं है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1509 / FP/UK/ROAD/153125/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1447/12–1 (1) दिनांक 17.12.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।

22/12/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

9/C